भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 3239
उत्तर देने की तारीख- 20.03.2025

छत्तीसगढ़ में विभिन्न जातियों को अनुसूचित जनजाति सूची में सम्मिलित करना

†3239. श्री चिन्तामणि महाराज:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या केन्द्र सरकार को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार से अनुसूचित जनजाति (एसटी) की सूची में विभिन्न जातियों को सम्मिलित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) उक्त राज्य सरकार से प्राप्त उक्त प्रस्ताव के लंबित रहने के क्या कारण हैं;
(ग) क्या ऐसे प्रस्तावों के निपटान के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) उक्त प्रस्तावों के लंबे समय तक लंबित रहने के कारण प्रस्तावित जातियों के उत्थान में आने वाली बाधाओं का ब्यौरा क्या है और इस पर तथ्यात्मक स्थिति क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)
(क): छत्तीसगढ़ सरकार से प्राप्त प्रस्तावों का विवरण अनुलग्नक में प्रस्तुत है।

(ख) से (घ): भारत सरकार ने दिनांक 15.06.1999 को (25.06.2002 व 14.09.2022 को पुन: संशोधित) अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में समावेशन, से अपवर्जन और अन्य संशोधनों के दावों पर निर्णय लेने के लिए प्रविधियां निर्धारित की हैं। प्रविधियां के अनुसार, केवल उन्हीं प्रस्तावों पर विधान के संशोधन के लिए विचार किया जाता है जिन्हें संबंधित राज्य सरकार/केंद्रीय शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा अनुशंसित किया गया हो और न्यायोचित माना गया हो और भारत के महापंजीयक(आर.जी.आई.) तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) के द्वारा सहमति प्राप्त हो । सभी कार्यवाही अनुमोदित प्रविधियों के अनुसार की जाती हैं।

किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों की सूची में समावेशन के प्रस्तावों में प्रविधियों के अनुसार कुछ प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है। यह एक सतत प्रक्रिया है। राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के साथ एक नृवंशविज्ञान रिपोर्ट होनी चाहिए। प्रस्तावों की जांच आरजीआई के कार्यालय और फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) द्वारा की जाती है। यदि प्रस्ताव आरजीआई द्वारा अनुशंसित नहीं है, तो राज्य सरकारों को आरजीआई द्वारा उठाए गए बिंदुओं के बारे में सूचित किया जाता है, ताकि अतिरिक्त जानकारी, यदि कोई हो, राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की जा सके। इसलिए ऐसे कई प्रस्ताव विभिन्न स्तरों पर जांच के अधीन रह सकते हैं।

अनुलग्नक

दिनांक 20.03.2025 को पूछे जाने वाले राज्य लोक अतारांकित प्रश्न संख्या 3239 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

क्रम संख्या	उस समुदाय का नाम जिस पर छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने/संशोधन हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।
1.	सवर, सवरा के पर्याय के रूप में सौरा, सहारा, साओरा, सौवरा
2.	भारिया भूमिया के पर्याय के रूप में भुय्या और भियां
3.	सबरिया
4.	रौतिया
5.	परगनिहा, परधान
6.	धुरी,धूरी
7.	बंजारा,नायक
8.	भट्टारा की उप-जाति के रूप में अमनित, अमनीत
9.	नागवंशी (हिंदी रूपांतर में परिवर्तन/संशोधन)
10.	खारवार के साथ खेरवार, खैरवार
11.	मझवार (भिन्न देवनागरी रूपांतर का समावेश)
12.	तंवर छत्री (तंवर और छत्री, के बीच अल्पविराम को हटाकर) और तंवरछत्री, तंवरक्षत्री, तंवर के साथ तनवर को प्रतिस्थापित करना
13.	परहिया
14.	धीमर, केवट, कहार और मल्लाह
15.	भुइंहर (देवनागरी परिवर्ती रूप का समावेश)
16.	अजजा की सूची में उरांव, धानका, धनगढ़ के पर्याय के रूप में कोड़ा
17.	बिंझवार के साथ बिरजिया
18.	रजवार
19.	गोंड की उपसमूह सोन्झारी के साथ सोनझरिया, सोनझरा और सोनझरी
20.	धांगर
21.	पाव के साथ पबिया, पविया, पवीया
22.	उरांव, धानका, धांगड़ के साथ संसारी उरांव, सन्सारी उरांव, सनसारी उरांव
23.	अनुसूचित जनजाति की हिंदी सूची में शामिल मांझी के स्थान पर माझी सुधार

*****